( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :– 26 / 2019**

**बउनवान**

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

**(प्रार्थी)**

**बनाम**

1– श्री नरोत्तम खण्डेलवाल पुत्र रामचन्द्र खण्डेलवाल उम्र 45 वर्ष जाति महाजन निवासी चौक के मन्दिर के पास वार्ड नं0 11 हरनावदा शाहजी छीपाबडौद जिला बारां **(मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स चतुर्भुज रामगोपाल खण्डेलवाल, मैन बाजार हरनावदा शाहजी तह0 छीपाबडौद जिला बारॉ

2– श्री मनोज कुमार सुखवानी पुत्र तोताराम सुखवानी निवासी सरोवर सर्किल पुरानी धानमण्डी कोटा (प्रोपराईटर) मैसर्स उमा ट्रेडर्स, सरोवर सर्किल पुरानी धानमण्डी कोटा।

3– श्री कमल कुमार धनवानी पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी 1–ध–15 दादाबाडी विस्तार योजना, दादाबाडी कोटा (प्रोपराईटर) K.B.INDUSTRIES, BHIM RAJPUT CHATRAWAS MOKHA PARA, SURAJ POL , KOTA (RAJ.)

4– K.B.INDUSTRIES, BHIM RAJPUT CHATRAWAS MOKHA PARA, SURAJ POL , KOTA (RAJ.)

**(अप्रार्थीगण)**

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– अनुपस्थित ( अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 )

## निर्णय दिनांक 23.10.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2019 को मैसर्स चतुर्भुज रामगोपाल खण्डेलवाल, मैन बाजार हरनावदा शाहजी तह0 छीपाबडौद जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री नरोत्तम खण्डेलवाल पुत्र रामचन्द्र खण्डेलवाल **(मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 20.02.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **बेसन (के0बी0) 500 ग्राम पैक** में विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **बेसन (के0बी0)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **बेसन (के0बी0) 500 ग्राम पॉलिपेक** के 04 मूल पैकेट को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री नरोत्तम खण्डेलवाल पुत्र रामचन्द्र खण्डेलवाल (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 108/– (अक्षरे एक सौ बीस रूपये) रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री हेमन्त व श्री रामेश्वर प्रसाद के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बेसन (के0बी0) 500 ग्राम** पॉलिपेक के 4 मूल पैकिट को प्लास्टिक के डिब्बे मे डालकर उस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–902 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–902 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री नरोत्तम खण्डेलवाल पुत्र रामचन्द्र खण्डेलवाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/93 दिनांक 28.3.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 136/FSSA/Kota/Act/2019/133 दिनांक 18.3.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **बेसन (के0बी0) 500 ग्राम पॉलिपेक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स चतुर्भुज रामगोपाल खण्डेलवाल, मैन बाजार हरनावदा शाहजी तह0 छीपाबडौद जिला बारॉ से पत्रांक 95 दिनांक 28.3.2019 सूचना चाही गई। मैसर्स चतुर्भुज रामगोपाल खण्डेलवाल, द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र व क्रय बिल कार्यालय में पेश किये गये।

इस पर प्रकरण दिनांक 23.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। जिसकी रसीद पत्रावली मे संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थिज रहने पर प्रकरण मे राज0 सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

**दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी** ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **बेसन (के0बी0) 500 ग्राम पॉलिपेक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**मेरे द्वारा राज0 सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ** की एकपक्षीय बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **बेसन (के0बी0) 500 ग्राम पेक** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को 10,000/– 10000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 40,000/– रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 15:12:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: